www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 11.05.2017

**सीबीआई ने 24.64 करोड़ रू. (लगभग) की बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की प्राइवेट कम्पनी के निदेशक व अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया**

सीबीआई ने केनरा बैंक के साथ हुए 24.64 करोड़ रू. (लगभग) की कथित धोखाधड़ी के सम्बन्ध में नई दिल्ली की प्राइवेट कम्पनी के निदेशक व अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

दिल्ली की प्राइवेट स्टील कम्पनी एवं इसके दो निदेशकों ; अज्ञात लोक सेवकों तथा अन्य अज्ञात प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी के तहत दिनांक 18.05.2016 को मामला दर्ज हुआ।

ऐसा आरोप था कि उक्त कम्पनी ने अपने निदेशक के माध्यम से ओ.सी.सी./ ओ.डी.बी.डी. हेतु 10.00 करोड़ रू. एवं आई.एल.सी./ एफ.एल.सी. हेतु 10.00 करोड़ रू. की सीमाएँ केनरा बैंक, कनॉट सर्कस, दिल्ली से प्राप्त किया। ऐसा भी आरोप था कि ये सीमाएँ कम्पनी के स्टॉक्स एवं बुक डेब्ट्स (Stocks and book debts) की जमानत के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से सुरक्षित की गई और दो सम्पत्तियाँ, जो कि ऋण मंजूरी के समय आरोपी के अधीन नही थी, की साम्यिक बन्धक (Equitable Mortgage) के द्वारा कपटपूर्ण तरीके से पूरक के तौर पर भी सुरक्षित की गई। ऐसा आगे आरोप था कि दिनांक 30.03.2013 से 30.12.2013 के दौरान केनरा बैंक में 08 लाभार्थियों जो कि बैंक को हस्तांतरित थे, के पक्ष में कपटपूर्ण तरीके से 23 इनलैण्ड लेटर ऑफ क्रेडिट (INLAND LETTER OF CREDIT) खोले गए। कथित एल.सी. की धनराशि को आरोपी व्यक्तियों के द्वारा अन्य मद में लगाया गया। कैश क्रेडिट खाता एवं आई. एल. सी/ एफ.एल.सी. से धनराशि उक्त कम्पनी की सहायक संस्था में बेईमानी से ले जाया गया तथा इसके अतिरिक्त आरोपी व्यक्तियों के द्वारा मंजूर ऋण को अनुमोदित मद से अलग मद में प्रयोग किया गया। बैंक को 24.64 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई। दिनांक 31.03.2014 को खाता गैर निष्पादित सम्पत्ति घोषित हुआ।

दोनो गिरफ्तार आरोपियों को सी.एम.एम., पटियाला हाऊस कोर्ट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया एवं 06 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

********